

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2**  
**संख्या-क0नि0-2-1042/ग्यारह-9(29)/14-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(137)-2015**  
**लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2015**

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 01 अगस्त, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

**संशोधन**

(क) उक्त अनुसूची-एक में, कम संख्या-43 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

| क्रम सं० | वस्तु का नाम एवं विवरण                                     |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                          |
| 43       | पतंग, माझा एवं पतंग उड़ाने की चर्खी ; बांस की तीली (फट्टी) |

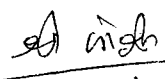
(ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, कम संख्या-13 की प्रविष्टि में शब्द "बांस की तीली (फट्टी)" को विलोपित कर दिया जायेगा।

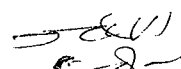
J.C. (अधि)  
31/7/15

आज्ञा से,

  
(बीरेश कुमार)  
प्रमुख सचिव।

240  
3-8-15

  
BM

  
5-8-15